254

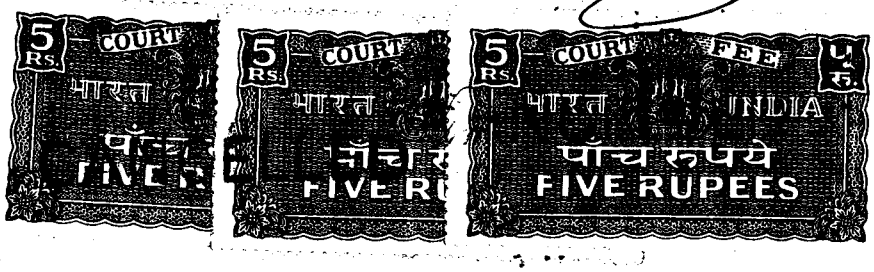

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 12007 पुनरीक्षण.

R 697-II/07

गोराबाई पत्नि श्री हरदयाल अहिरवार,
निवासी ग्राम शाहपुर तेहसील जतारा,
जिला टीकमगढ़ (म०प्र०) ---आवेदिका.

वनाम.

१) रामदयाल पुत्र गजई अहिरवार
२) हल्ले पुत्र बसन्ते अहिरवार
३) किशोरी पुत्र जालम अहिरवार,
४) सुरेला मृत पुत्र खुमान अहिरवार वारिसान-

१- कितिया वेवा धनीराम,
२- राजकुमार पुत्र धनीराम,
३- सुरेश पुत्र धनीराम,
४- जगदीश पुत्र धनीराम,
५- तारा वेवा धरमदास,
६- दीपक पुत्र धरमदास,
७- मज्जू पुत्र धरमदास,
८- मीना पुत्री धरमदास,
९- ग्यादीन पुत्र सुरेला
१०- परसराम पुत्र सुरेला,

समस्त निवासीगण ग्राम शाहपुर, तेहसील जतारा,
जिला टीकमगढ़ (म०प्र०)

---- अनावेदकगण.

श्री ... द्वारा आज दि० 16-4-07 को प्रस्तुत।
16/4/07
रीडर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

---२

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भू-राजस्व संहिता १९५९ विरुद्ध आदेश दिनांक २६ जनवरी २००७ पारित द्वारा श्री आर०आर० गंगारेकर, न्यायालय कमिश्नर सागर संभाग सागर (म०प्र०) निगरानी प्रकरण क्रमांक १२३/अ/१९/२००३-०४ उनवान गौराबाई बनाम रामदयाल आदि।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण निम्नलिखित प्रस्तुत है--

संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यह कि, विवादित भूमि स्थित ग्राम सीतापुर की शासकीय भूमि खसरा क्र० ३०८/८७५ रकबा १-६९६ है० पर २-१०-८४ के पूर्व से काबिज होने के आधार पर आवेदन तहसीलदार जतारा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर प्र० क्र० १२/अ/१९/२०००-०१ दर्ज किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए इश्तहार प्रकाशन कर ग्राम पंचायत से प्रस्ताव प्राप्त कर किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर आदेश दि० १८-१-०१ आवेदक के पक्ष में कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि-स्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना विशेष उपबंध १९८४ के अन्तर्गत भूमि प्रदाय की गई, तत्पश्चात् आवेदिका द्वारा भूमि कृषि योग्य बनाने हेतु काफी धन खर्च एवं मेहनत मजदूरी कर कृषि हेतु बनाया कुआ खुदवाया बगिया लगवाई, तहसील न्यायालय द्वारा प्र० क्र० ३/अ-६/९९-२००० गौराबाई बनाम म०प्र० शासन आदेश दि० ३१-१०-२००० के द्वारा खसरे में दुरुस्ती बाबत आदेश पारित किया गया।

(ब) यह कि, आवेदकगण द्वारा आदेश दि० १८-१२-०१ [illegible] माननीय अपर कलेक्टर महोदय, टीकमगढ़ के समक्ष बेदखल [illegible] निगरानी प्रस्तुत की गई जो प्र० क्र० [illegible]

(21

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 697/दो/2007 जिला–टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
9.2.17	यह निगरानी आवेदिका द्वारा कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 133/अ–19/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 29.01.2007 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि तहसीलदार जतारा द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/अ–19/2000–01 आदेश दिनांक 18.01.2001 के द्वारा म0प्र0 कृषि प्रयोजनों के लिए दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम,1984 के अन्तर्गत ग्राम सीतापुर की शासकीय भूमि खसरा नम्बर 379/975 रकवा 1.619 हैक्टेयर प्रदान की गयी थी। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी, जो पारित आदेश दिनांक 02.04.2004 से स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2001 निरस्त कर किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका के कमिश्नर, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी, जो पारित आदेश दिनांक 29.01.2007 से निरस्त की गयी। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।	

4— आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदिका को ग्राम सीतापुर की शासकीय भूमि खसरा नम्बर 379/975 रकवा 1.619 है0 पर दिनांक 02.10.1984 के पूर्व से काबिज होने के आधार पर तहसीलदार जतारा द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/अ—19/2000—01 में पारित आदेश दिनांक 18.01.2001 को म0प्र0 कृषि प्रयोजनों के लिए दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत प्रदान किया गया था। जिसके विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी थी। जो पारित आदेश दिनांक 02.04.2004 को स्वीकार की गयी, जबकि अनावेदकगण को उपरोक्त निगरानी प्रस्तुत करने की अधिकारिता ही नहीं थी। इस वैधानिक बिन्दु पर विचार किये बिना, जो आदेश कमिश्नर, सागर संभाग, सागर द्वारा पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाये एवं तहसील न्यायालय का आदेश का स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

5— अनावेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में बताया है कि अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा उपरोक्त प्रकरण में जो आदेश पारित किये है, वह विधिवत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6— उभयपक्षों के अभिभाषकों के तर्को के परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका को दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 18.01.2001 को किया गया था। आवेदिका ग्राम सीतापुर की निवासी है तथा वह अनुसूचित जाति की महिला होकर भूमिहीन खेतिहर मजदूर है तथा कृषि कार्य

करके अपने परिवार का भरण–पोषण करती है, यही भूमि उसके आय का मुख्य साधन है। भूमि प्राप्त करने की पात्रता होने के कारण तहसीलदार द्वारा विधिवत प्रक्रिया का पालन कर भूमि का आबंटन किया गया है। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन के साथ निगरानी अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ प्रस्तुत की गयी थी, जो स्पष्टतः अवधि वाह्य थी। इसके अतिरिक्त अनावेदकगण को उक्त निगरानी प्रस्तुत करने की अधिकारिता भी नहीं थी क्योंकि वह विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे और ना ही उनका उपरोक्त भूमि में हितनिहित है। ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत निगरानी प्रचलन योग्य ही नहीं थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1992 आर. एन. 289 में निष्कर्ष दिया है कि परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 व्याप्ति अधिकारिता की प्रकृति–वैवेकिक है, पक्षकार बिलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप हकदार नहीं है, प्रर्याप्त का कारण सबूत अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है। न्यायालय अपनी अंत निर्हित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कलावधि नहीं बढ़ा सकते। इस बिन्दु पर विचार किये बिना अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा आदेश पारित किये है। आवेदिका ग्राम सीतापुर की निवासी है। सीतापुर एवं सहायपुर एक ही पटवारी हल्का के अन्तर्गत है। ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ एवं कमिश्नर, सागर संभाग, सागर द्वारा बिना जॉच किए तथा साक्ष्य लिए बिना आवेदिका को सीतापुर की निवासी न मानकर वैधानिक भूल की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कमिश्नर, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 133/अ–19/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 29.01.2007 तथा अपर

कलेक्टर, टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 44/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 02.04.2004 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा तहसीलदार जतारा द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/अ–19/2000–01 में पारित आदेश पारित आदेश दिनांक 18.01.2001 स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।

सदस्य